झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना से आच्छादित प्रत्येक लाभुक परिवार के बीच प्रतिमाह 1 किलोग्राम चीनी वितरण तथा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थ योजना से आच्छादित प्रत्येक लाभुक परिवार को प्रतिमाह 1 किलोग्राम नमक का वितरण किया जाता है। इस हेतु मंत्रिपरिषद् झारखण्ड के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में संकल्प ज्ञापांक–4599 दिनांक–18.09.2015 को दृश्टिगत रखते हुए त्रैमासिक निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन किया जाता है एवं उसके उपरान्त आपूर्ति आदेश निर्गत करते हुए सुपात्र लाभुकों के बीच नमक/चीनी का वितरण किया जाता है।

2. चीनी एवं नमक वितरण से संबंधित आवश्यक कार्रवाईयों में प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के फलस्वरूप चीनी एवं नमक ससमय लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। अतः प्रत्येक माह चीनी एवं नमक वितरण का कार्य ससमय सम्पन्न करने हेतु निविदा एवं वितरण में किये जाने वाले आवश्यक कार्य की तिमाहीवार समय सीमा निर्धारित की जाती है। (परिशिष्ट–1)

3. उपर्युक्त निर्धारित की गई समय–सीमा के अंतर्गत संबंधित समस्त पदाधिकारी अपना दायित्व निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची तय की गई समय–सीमा का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे, जिस क्रम में वे राज्य मुख्यालय स्थित कार्यालयों एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ लगातार सम्पर्क में रहेंगे।

4. नमक एवं चीनी वितरण का कार्य ई–पॉस मशीन के माध्यम से अनिवार्यतः किया जायेगा, जिस क्रम में विभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र (Project Management Unit, National Informatics Center) के द्वारा लाभुक परिवारों के बीच चीनी/नमक वितरण का अनुश्रवण करते हुए इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि किसी लाभुक परिवार को लगातार दो माह की अनुमान्य चीनी/नमक के वितरण के बीच कम–से–कम में एक सप्ताह की अवधि हो। वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने की स्थिति में विभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र (Project Management Unit, National Informatics Center) के द्वारा अविलम्ब निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची तथा विभाग को अवगत कराया जायेगा।

परियोजना प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र (Project Management Unit, National Informatics Center) के द्वारा प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक विगत माह के दौरान वितरित चीनी/नमक के वितरण में कोई अनियमितता नहीं होने संबंधी प्रतिवेदन निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची तथा विभाग में समर्पित किया जायेगा।

5. प्रत्येक लाभुक परिवार को उनसे संबंधित जनवितरण प्रणाली दुकान में नमक एवं चीनी के वितरण हेतु उपलब्धता की सूचना SMS के माध्यम से प्रत्येक माह दी जायेगी।

6. विगत तिमाही में वितरण के उपरान्त शेष बचे हुए नमक एवं चीनी का समायोजन करने के उपरान्त ही, अगले तिमाही का चीनी एवं नमक वितरण का आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। इस हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपने संबंधित जिला के गोदामों में शेष बचे हुए नमक एवं चीनी का आकलन कर इससे संबंधित प्रतिवेदन खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची को उपलब्ध करायेंगे। इसके उपरान्त खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय विगत तिमाही में शेष बचे हुए नमक एवं चीनी का समायोजन कर ही आपूर्ति आदेश निर्गत करेंगे।

7. प्रत्येक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अपने जिले के प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को उपलब्ध चीनी/नमक का भण्डार प्रतिवेदन (Stock Report) विहित प्रपत्र में निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राँची को माह की पाँचवीं तारीख तक ऑनलाईन समर्पित किया जायेगा। इस क्रम में झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची की वेबसाईट पर अधिष्ठापित प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System) पर भी आवश्यक प्रविशिष्ट ससमय सुनिश्चित की जायेगी।

8. प्रत्येक माह की पाँचवीं (5th) तारीख तक आगामी माह में चीनी/नमक के वितरण हेतु सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपने संबंधित जिला में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थ योजना से आच्छादित लाभुकों/परिवार की संख्या को Freeze करेंगे।

9. खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किये जाने के तीन दिनों के अंदर संबंधित जिला उपावंटनादेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

10. चीनी/नमक की आपूर्ति हेतु निविदा के असफल होने की स्थिति में, यदि निविदा दस्तावेज में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है, तो निविदा असफल होने के 48घण्टों के भीतर पुनर्निविदा आमंत्रित की जायेगी, जिस परिप्रेक्ष्य में निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची अपने स्तर से निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे।

11. नमक एवं चीनी का यादृच्छिक नमूना (Random Sample) प्राप्त करते हुए यथानिर्धारित विशिष्टियों एवं जाँच की परिशिष्ट–2 एवं 3 पर वर्णित परीक्षण की प्रक्रिया के अनुसार गुणवत्ता, इत्यादि की मानकों की जाँच की जायेगी, जिस क्रम में NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) प्रयोगशाला से ससमय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

12. प्रत्येक जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उक्त जिले में विशिष्टियों के अनुरूप चीनी/नमक की यथा आदेशित मात्रा में ससमय आपूर्ति सुनिश्चित हो, जिसका सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करते हुए समस्त सुपात्र लाभुक परिवारों के बीच ससमय वितरण सुनिश्चित कराया जाए।

13. चीनी/नमक आपूर्तिकर्ता को संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा आपूर्ति किये गये चीनी/नमक के विरूद्ध आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के अधिकतम 15 दिनों के भीतर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

14. इस अधिसूचना प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन विधिवत प्राप्त कर लिया गया है।

15. आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2.2.21

अनुलग्नकः– यथोक्त।

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– खा०प्र० 6–3 (आ०व०अधि०)–01/2017– 287 /राँची, दिनांक :– 02-02-21

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराई जाय तथा इसकी 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

2.2.21

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– खा०प्र० 6–3 (आ०व०अधि०)–01/2017– 287 /राँची, दिनांक :– 02-02-21

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.2.21

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट–3

Sugar			
Sr. No.	Characteristics	Requirements for FREE Flow White Crystal Sugar	Method of test
1	Moisture,% by Weight,Max	0.08	IS:15279-2003
2	Sucrose,% by weight (mini)	99.00	IS:15279-2003
3	Extraneous matter% by weight (Max)	0.05	D.G.H.S Manual
4	Colour in ICUMSA nits (Max), by GS 2/3-10	150	IS:15279-2003
5	SO_2 ppm (Max)	70	IS:15279-2003
6	Reducing sugar % by mass (Max)	0.08	IS:15279-2003
7	% RETAINED by Mass, (min) (IS 600 Microns sieve) test % retained by mass (Min) (IS-300 Micron sieve)	90,95	IS-1607-1977
8	Ash Content	0.04% Max	-
9	Solubility	100% dry and free flow	-
10	Granulation	Fine/Crystal	-
11	Colour	Sparkling white crystal	-
12	Iron filling	NIL	-
13	Sediments	None	-
14	Smell	Free from any smell	-
15	Radiation	Normal without presence of Cesium or Iodine certified phytosanitary of no radiation, no virus, no insect part, no husk, no poisonous matter and non generic & it suitable for human consumption	-
16	Crop season	2018-19 & 2019-20	-

परिशिष्ट–1

(17)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	प्रथम तिमाही (अप्रैल से जून)	द्वितीय तिमाही (जुलाई से सितम्बर)	तृतीय तिमाही (जुलाई से सितम्बर)	चतुर्थ तिमाही (जुलाई से सितम्बर)
1	RFP प्रारूप तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु NeML को पत्र दिया जाना।	चतुर्थ सप्ताह नवंबर (विगत)	चतुर्थ सप्ताह फरवरी	चतुर्थ सप्ताह मई	चतुर्थ सप्ताह अगस्त
2	NeML द्वारा RFP समर्पित।	द्वितीय सप्ताह दिसंबर	द्वितीय सप्ताह मार्च	द्वितीय सप्ताह जून	द्वितीय सप्ताह सितम्बर
3	RFP अनुमोदन हेतु विभाग को पत्र भेजा जाना।	तृतीय सप्ताह दिसंबर	तृतीय सप्ताह मार्च	तृतीय सप्ताह जून	तृतीय सप्ताह सितम्बर
4	RFP पर विभाग द्वारा अनुमोदन किया जाना	चतुर्थ सप्ताह दिसम्बर	चतुर्थ सप्ताह मार्च	चतुर्थ सप्ताह जून	चतुर्थ सप्ताह सितम्बर
5	अनुमोदित RFP प्रारूप वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाना	प्रथम सप्ताह जनवरी	प्रथम सप्ताह मई	प्रथम सप्ताह जुलाई	प्रथम सप्ताह अक्टूबर
6	रिवर्स ऑक्शन संपन्न	प्रथम सप्ताह फरवरी	प्रथम सप्ताह मई	प्रथम सप्ताह अगस्त	प्रथम सप्ताह नवम्बर
7	निविदा समिति की बैठक	प्रथम सप्ताह फरवरी	प्रथम सप्ताह मई	प्रथम सप्ताह अगस्त	प्रथम सप्ताह नवम्बर
8	निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही विभाग को भेजा जाना	प्रथम सप्ताह फरवरी	प्रथम सप्ताह मई	प्रथम सप्ताह अगस्त	प्रथम सप्ताह नवम्बर
9	विभाग द्वारा अनुमोदन	द्वितीय सप्ताह फरवरी	द्वितीय सप्ताह मई	द्वितीय सप्ताह अगस्त	द्वितीय सप्ताह नवम्बर
10	L-1 आपूर्तिकर्ता को एकरारनामा करने हेतु पत्र	द्वितीय सप्ताह फरवरी	द्वितीय सप्ताह मई	द्वितीय सप्ताह अगस्त	द्वितीय सप्ताह नवम्बर
11	आपूर्तिकर्ता द्वारा एकरारनामा कार्य संपन्न	तृतीय सप्ताह फरवरी	तृतीय सप्ताह मई	तृतीय सप्ताह अगस्त	तृतीय सप्ताह नवम्बर
12	आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश निर्गत	तृतीय सप्ताह फरवरी	तृतीय सप्ताह मई	तृतीय सप्ताह अगस्त	तृतीय सप्ताह नवम्बर
13	जिला को उपावंटनादेश निर्गत करने का निदेश	तृतीय सप्ताह फरवरी	तृतीय सप्ताह मई	तृतीय सप्ताह अगस्त	तृतीय सप्ताह नवम्बर
14	आपूर्ति समय सीमा	अप्रैल माह के लिए 15 मार्च	जुलाई माह के लिए 15 जून	अक्टूबर माह के लिए 15 सितम्बर	जनवरी माह के लिए 15 दिसम्बर
		मई माह के लिए 15 अप्रैल	अगस्त माह के लिए 15 जुलाई	नवम्बर के लिए 15 अक्टूबर	फरवरी के लिए 15 जनवरी
		जून माह के लिए 15 मई	सितम्बर माह के लिए 15 अगस्त	दिसम्बर के लिए 15 नवम्बर	मार्च के लिए 15 फरवरी
15	रैण्डम सैम्पल की जांच	15 मार्च से 1 अप्रैल	15 जून से 1 जुलाई	15 सितम्बर से 1 अक्टूबर	15 दिसम्बर से 1 जनवरी
16	वितरण आदेश	25 मार्च	25 जून	25 सितम्बर	25 दिसम्बर
17	वितरण प्रारंभ	1 अप्रैल से	01 जुलाई	1 अक्टूबर	1 जनवरी

(16)

परिशिष्ट–2

Salt			
Sr. No.	**Characteristics**	**Requirements for free flow refined Iodized Salt**	**Method of test**
1	Moisture, %by mass, Max	0.5	As per Annexure-A of IS7224:2006
2	Water insoluble matter % by mass, on dry basis, Max	1	As per Annexure-C of IS7224:2006
3	Chloride content (as NaCL), % by mass, on dry basis Min.	98.5	As per Annexure-D of IS7224:2006
4	Matter soluble in water other than sodium chloride, % by mass, on dry basis, max	1	As per Annexure-E of IS7224:2006
5	Calcium (as Ca), % by mass, on dry basis max.	0.15	As per Annexure-F of IS7224:2006
6	Magnesium (as mg.), % by mass, on dry basis, Max.	0.1	As per Annexure-F of IS7224:2006
7	Sulphate (as SO4), % by mass, Max	0.6	As per Annexure-G of IS7224:2006
8	Iodine content, ppm, Min.Manufacturer's Level	30	As per Annexure-H of IS7224:2006
	Distribution channel including retail Level	15	As per Annexure-H of IS7224:2006
9	Alkalinity (as NA2 CO3), by mass, Max.	0.15	As per Annexure-J of IS7224:2006
10	Lead (as pb), ppm, Max	2	-
11	Arsenic (as AS), ppm, Max	1	-
12	Iron (as fe), ppm, Max	50	-